हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मूर्ति मंदिर राधारमणजी बनाम राजस्थान सरकार	
पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश पर है~~/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-2-2021 को पेश हो। रीडर (5-2-2021) वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। आदेश निर्णय पत्रावली दि० 17-2-2021 को पेश हो। (17-2-2021) वकील उभयपक्ष उप०। रिसीवरी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से खारिज होवे। इसे बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:10 IST
Reason: SelfAttested

24.2.2012

मंदिर श्री राधारमण जी विराजमान गंगापुर सिटी (शाश्वत नाबालिग),
प्रार्थना मित्र संरक्षक पुजारीः
1. सत्यानंद शर्मा 2. गोंविद प्रसाद शर्मा पुत्रगण श्री हरिप्रसाद शर्मा,
निवासीयान महन्त कटला, गंगापुर सिटी ——प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकिशोर उर्फ किशोरी पुत्र चंदा माली (नाम हजफ)
2. मदन मोहन पुत्र रामकिशोर उर्फ किशोरी माली, निवासी ग्राम सलारपुर, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत् कायमी रिसीवर अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट उपस्थित
श्री बृजनंदन दीक्षित, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री ओमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र रिसीवरी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मूर्ति की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 263 रकबा 91 एयर व अन्य ग्राम सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित है। प्रार्थी मूर्ति की कृषि भूमि की आय से प्रार्थी मूर्ति के भोगराग की व्यवस्था प्रार्थी मूर्ति के प्रार्थना मित्र पुजारी संरक्षकगण द्वारा बुजुर्गो के जमाने से होती रही है। भूमि ख0न0 263 रकबा 91 एयर मे से उत्तरी ओर का भू भाग 60 एयर (ढाई बीघा) भूमि दिनांक 15.7.97 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को, प्रार्थी के प्रार्थना मित्रों द्वारा आध बंटाई पर काश्त हेतु बतलाई गई है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आध बटाई का हिस्सा प्रार्थी मूर्ति को जरिये प्रार्थना मित्रों द्वारा दिया जाता रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित 60 एयर भूमि (ढाई बीघा) पर प्रार्थी मूर्ति की सहमति से आध बटाई पर काश्त करते हैं, उक्त वर्णित खसरा नम्बर 263 की शेष दक्षिणी ओर की भूमि पर काश्त का इंतजाम प्रार्थी के प्रार्थना मित्रों द्वारा किया जाता है। अप्रार्थीगणं की आध बंटाई के हिस्से हाल खसरा नम्बर 263 रकवा 91 एयर स्थित ग्राम सलारपुर के उत्तरी ओर के भाग, को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग की रेखाओं के मध्य ए.बी.सी.डी. से प्रदर्शित किया गया है। संलग्न नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि की आधी उपज जरिये प्रार्थना मित्र प्रार्थी मूर्ति को अदा करते चले आ रहे हैं लेकिन अब अप्रार्थीगण की नीयत में फितूर आ गया है। अप्रार्थीगण प्रार्थी मूर्ति की उपरोक्त वर्णित भूमि को हड़प करना चाहते है। विगत वर्ष 2011 जुलाई [illegible] अप्रार्थीगण ने प्रार्थी मूर्ति को कृषि उपज का आधा हिस्सा भी बावजूद प्रार्थना मित्रों के तकाजों के अदा नहीं किया है। वर्तमान में उपरोक्त वर्णित अप्रार्थीगण की आध बटाई के हिस्से पर गेंहू की फसल सरसब्ज है। अप्रार्थीगण प्रार्थी मूर्ति की उपरोक्त वर्णित बरंग लाल रंग की रेखाओं के मध्य कृषि भूमि को बदयांतिपूर्वक खुर्द बुर्द करने को उतारू हो रहे है। दिनांक 11.02.2012 को जब प्रार्थी के प्रार्थना मित्र फसल की सार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आदि निर्माण सामग्री डलवाये हुये है। प्रार्थी के ... गण से पूछे जाने पर अप्रार्थीगण ने कहा कि वे तो इस भूमि पर निर्माण ... प्रार्थी के प्रार्थना मित्रों द्वारा एतराज किए जाने तथा पूर्व में भी आध ... नहीं दिए जाने का तकाजा किया एवं भूमि रिक्त कर प्रार्थी मूर्ति को ... प्रार्थना मित्र संभलाये जाने को कहा तो अप्रार्थीगण नाराज होकर कहने ... कि न तो हम आध बंटाई का हिस्सा देंगें और हमारे हिस्से की 60 एयर ... को भूखण्डो की शक्ल में बेचेंगे और इस पर मनमाफिक निर्माण ... येंगे। प्रार्थी के प्रार्थना मित्रों द्वारा अप्रार्थीगण से उक्त प्रकार का अवैध ... ण न करने बावत कहा लेकिन अप्रार्थीगण नहीं माने बल्कि उन्होंने वादग्रस्त ... के ए.बी. भाग पर नींव खुदवाकर अवैध निर्माण कर दिया है। प्रार्थी के विरोध के पश्चात् भी अप्रार्थीगण अपनी बेजा हरकतों को नहीं रोक रहे हैं, बल्कि प्रार्थी मूर्ति की इच्छा के विरूद्ध भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी होकर प्रार्थी मूर्ति की भूमि को खुर्दबुर्द करने पर उतारू हो रहे है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी मूर्ति की भूमि के सन्दर्भ में उपरोक्त वर्णित कृत्य पूर्णतः अवैधानिक है। अप्रार्थीगण का दायित्व रहा है कि प्रार्थी मूर्ति की भूमि को रिक्त कर प्रार्थी मूर्ति को संभला दिया जावे, इसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी मूर्ति की सहमति के बिना प्रार्थी मूर्ति की भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज होकर प्रार्थी मूर्ति की भूमि को खुर्द बुर्द किए जाने का कृत्य किया जा रहा है। प्रार्थी मूर्ति के हितों की सुरक्षार्थ एवं कृषि भूमि की रक्षार्थ प्रार्थना मित्रों को हस्तगत प्रार्थना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी मूर्ति की इच्छा के विरूद्ध अप्रार्थीगण का प्रार्थी मूर्ति की भूमि हाल खसरा नम्बर 263 के उत्तरी ओर के भाग प्रदर्शित संलग्न नजरी नक्शा लाल रंग की रेखाओं के मध्य ए.बी.सी.डी. 60 एयर पर विधि विरूद्ध काबिज होकर बहैसियत अतिक्रमी काबिज है। प्रार्थी मूर्ति शाश्वत् नाबालिग है जिसकी इच्छा के विरूद्ध उसकी जायदाद पर काबिज व्यक्ति अतिक्रमी की परिभाषा में आता है। प्रार्थी मूर्ति शाश्वत् नाबालिग की भूमि को विक्रय किया जाना अथवा खुर्द बुर्द किए जाने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अवैधानिक रूप से कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने पर उतारू हो रहे हैं, प्रार्थी मूर्ति की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से खुर्द बुर्द करना चाहते हैं, अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए.बी. स्थान के मध्य भूमि को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से अवैध निर्माण प्रारंभ कर दिया है, अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप [illegible] निर्माण करवाना चाहते हैं जो वादी मूर्ति नाबालिग के हितों के विपरीत है, इसलिए ताफैसला दावा वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 263 के उत्तरी ओर का 60 ऐयर भूभाग संलग्न प्रदर्शित नजरी नक्शा [illegible] लाल रेखाओं के मध्य ए.बी.सी.डी. को जरिये रिसीवर कब्जे राज में लिया जाकर काश्त व्यवस्था जरिये रिसीवर करवाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है ताकि दौराने दावा वादी मूर्ति के हितों की सुरक्षा हो सके। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र कर निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
...पुर सिटी (स०मा०)

विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार करवाया जाकर ...

खसरा नम्बर 263 स्थित ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी के उत्तरी के लगभग 60 ऐयर भूमि प्रदर्शित संलग्न नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र लाल के मध्य को मूर्ति के हितों की सुरक्षार्थ ताफैसला दावा जरिये रिसीवर राज में लिया जाकर काश्त व्यवस्था जरिये रिसीवर करवाये जाने के करवाये जावें तथा भूमि को खुर्दबुर्द होने से बचाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में अंकित किया है कि मन्दिर राधारमण जी भोगराग व्यवस्था के लिये एन्यूटी देवस्थान विभाग से काफी समय से चली आ रही है और पूर्व में मन्दिर के पुजारी स्वर्गीय हरिप्रसाद थे और उनके वारिस प्रार्थीगण के अलावा हनुमान और है उनको दावे में बतौर प्रार्थी पार्टी नही बनाया गया है। अप्रार्थीगण अर्से करीब 100 वर्ष से ज्यादा से विवादित खसरा नम्बर 263 के उत्तरी हिस्से साढे बासठ एयर पर कब्जे काश्त करते चले आ रहे है और लगातार भेज लगान देते आ रहे है। अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 263 में उत्तरी तरफ साढे बासठ ऐयर पर कब्जा है।' प्रार्थीगण ने साढे बासठ ऐयर की जगह 60 ऐयर गलत दर्ज किया है व दिनांक 15.07.97 को आध बटाई पर बताना भी गलत दर्ज किया है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीगण के बुजुर्गान का खसरा नम्बर 263 में से साढे बासठ एयर पर अर्से 100 साल से भी ज्यादा समय से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण शिकमी काश्तकार है एवं दिनांक 23.05.87 को मंन्दिर के तत्कालीन संरक्षक पुजारी हरिप्रसाद जी पुत्र रामस्वरूप महन्त ने उक्त खसरा नम्बर 263 में से ऊपर की तरफ साढे बासठ एयर भूमि का बेचान कल्ला पुत्र श्री चन्दा व अप्रार्थी मदनमोहन पुत्र रामकिशोर को नकद 30000/–रु0 में पुराने कब्जे आधार पर बेचान कर दिया। जिसकी सीमा पूर्व में सडक सवाई माधोपुर, पश्चिम में खातेदार मूर्ति राधारमण, उत्तर में जमीन खातेदार मन्दिर मूर्ति राधारमण व सीमा ग्राम हिंगोटया व दक्षिण मे जमीन खातेदार हाल कब्जा मुन्नीदेवी घाटा मेहन्दीपुर बालाजी दर्ज की है। उक्त विक्रय–पत्र पर साक्षी में महन्त के लडके हनुमान प्रसाद के सहमति में अन्य गवाहान के साथ हस्ताक्षर है और शपथ आयुक्त द्वारा तस्दीक किया हुआ है और अब जमीन की कीमत बढ जाने से व महन्त हरिप्रसाद के फौत हो जाने के बाद सही तथ्यो को छिपाते हुए गलत तथ्यो को प्रस्तुत किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने इसी कारण दावे में हरिप्रसाद महन्त पुजारी के [illegible] हनुमान को बतौर पक्षकार नहीं बनाया है। दिनांक 23.5.87 के पूर्व प्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि के उपयोग के एवज में मन्दिर को काश्त में से हिस्सा देते थे परन्तु दिनांक 23.5.87 को महन्त ने इकजाई राशि उपभोग के बदले अप्रार्थीगण से 30000/–रु0 प्राप्त कर ली जिसके बाद अप्रार्थीगण ने बोरिंग खुदाकर बिजली कनेक्शन गैरसायल मदनमोहन पुत्र रामकिशोर के नाम करा लिया जो बदस्तूर जारी है। बिजली का बिल व साढे बासठ एयर भूमि की भेज तब से लगातार अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

को कृषि का आधा हिस्सा देने का तकाजा करना गलत दर्ज किया है अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द करने का भी कोई प्रश्न पैदा नही है क्योंकि अप्रार्थीगण ने भूमि को चाटी चलाकर खाद डालकर डौल कर पानी की व्यवस्था कर भूमि की काफी खर्चा कर काश्त योग्य अपने से बनाया है। दिनांक 11.2.2012 को प्रार्थीगण ना तो मौके पर काश्त पर है और ना कोई बात हुई, ना ही अप्रार्थीगण ने कृषि भूमि में निर्माण करने की कोई धमकी दी। बल्कि वास्तविकता यह है कि पूर्व की तरफ रास्ता सडक और रात दिन जानवर बेराक टोक आते जाते है। अप्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुँचाते रहते है इसलिये अप्रार्थीगण ने अपनी फसल की सुरक्षा के लिये बाउण्ड्री वाल बनाना शुरू कर दिया तो प्रार्थीगण ने नाजायज तौर से बाउण्ड्रीवाल नही करने दी व काम रूकवा दिया और इसके अलावा अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि पर कोई पुख्ता निर्माण नही किया है। अप्रार्थीगण अतिक्रमी नही है बल्कि शिकमी काश्तकार है और प्रार्थीगण की नियत में फितूर पैदा हो चुका है। दिनांक 23.5.87 को प्रार्थीगण के पिता उस समय उक्त भूमि को उपभोग के बदले राजभोग के लिये 30000/–रू0 ले चुके है। अब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से 5,00,000/– रूपये की मांग की और नही देने पर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की गरज से यह दावा प्रस्तुत किया है और सही तथ्यो को छिपाया है। प्रार्थीगण स्वंय रौंग डुअर है और प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के उत्तर में रास्ते आम को छोडकर मन्दिर राधारमण की भूमि में करीब 30x100 में पुख्ता मकान बना लिया है और कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है। प्रार्थीगण मन्दिर की भूमि बेचने के आदि है मनमाने पैसे जो दे देता है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते है और जो पैसे नहीं देते है उनको तंग करते है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण के बुजुर्गान का अर्से करीब 100 वर्ष से अधिक से लगातार विवादित खसरा नम्बर 263 रकवा 91 ऐयर मे से साढे बासठ एयर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और अप्रार्थीगण बतौर शिकमी काश्तकार काबिज है। अप्रार्थीगण ही उक्त भूमि की भेज लगान जमा कराते आ रहे है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि मे बोरिंग कर रखी है। जिसका विधुत कनेक्शन भी अप्रार्थी मदनमोहन के नाम ही चला आ रहा है। उक्त मंदिर की माफी रिजीम होने के पश्चात् खातेदारी हरिप्रसाद महन्त के नाम बदल गई और हरिप्रसाद महन्त ने उक्त भूमि अप्रार्थीगण को ... अप्रार्थीगण एकीकरण से पूर्व से लगातार कब्जा होने से भी खातेदार हो गये है। अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 263 के रकवा 91 ऐयर में से ... के साढे बासठ एयर का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है और प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण को उक्त कब्जे साढे बासठ एयर के उपयोग में बाधा अडचन नही डालने व दीगर व्यक्ति को नही बेचने के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थीगण व उनके बुजुर्गो का माफी मंदिर की भूमि बेचने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 16:53:10 IST
Reason: SelfAttested

... जिला कलेक्टर
...पुर सिटी (स०मा०)

पुरा इतिहास है जिसके सबूत भी अप्रार्थीगण ...
... जी के एकीकरण खसरा नम्बर 91 में से हरिप्रसाद ने 6 बीघा 5 ... भूमि दिनांक 20.7.72 को किशनलाल पुत्र दुल्ली, कल्ला, रामचरण को ... थी। अब उनकी खातेदारी हो चुकी है और मंदिर का नाम हटाया जा ... है। प्रार्थीगण ने दावा करने से पूर्व कभी भी अप्रार्थीगण के कब्जे मे ... नही की और सर्वप्रथम प्रार्थीगण ने मनोहरसिंह पुत्र रामसहाय जाति ... निवासी बूचोलाई से साज कर दिनांक 20.2.12 को अप्रार्थीगण को ... की धमकी दिलाने व उसके बाद प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों पर दावा ... के नोटिस दिनांक 15.03.2012 को मिलने से पैदा हुआ है। अतः जबाब ... कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज ... माया जावे।

प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल ... बंदी संवत 2067–70 एवं फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा पेश ... है।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को भूखण्डो के रूप मे विक्रय कर भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने एवं भूमि को खुर्द बुर्द करने पर ऊतारू है जबकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी मंदिर की खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी शाश्वत नाबालिग होने के कारण उसकी भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नही किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन ने वकील प्रार्थी ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 979, न्याय दृष्टान्त आर.बी.जे.2008 पेज 628 का हवाला देते हुए वादग्रस्त भूमि को रिसीवरी मे लेने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने जबाब के अनुसार अपनी बहस में निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व पुजारी एवं प्रार्थीगण के पिता श्री हरिप्रसाद महन्त द्वारा प्रार्थीगण को दी जाकर इसके बदले मे एकमुश्त राशि रूपये तीस हजार प्राप्त कर लिए गये एवं इसकी एक लिखावट दिनांक 23.5. ... को ही अप्रार्थीगण के पक्ष मे लिख दी। तभी से अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर सिकमी काश्तकार काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। ... पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकॉपी ... जमाबंदी संवत 2067–2070 के अनुसार भूमि ख0न0 263 रकबा 91 ... मंदिर श्री ... विराजमान गंगापुर की खातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि मंदिर के पूर्व महन्त श्री हरिप्रसाद द्वारा उनको दिया जाना अपने जबाब मे अंकित किया है परन्तु इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नही कराया है। इसलिए अप्रार्थीगण का यह कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर (...)

स्वीकार नही माना जा सकता है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में वादग्रस्त भूमि उनके कब्जे मे होना माना है तथा वादग्रस्त भूमि मे बाउन्ड्रीवाल के निर्माण किये जाने की बात स्वीकार की है। वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री राधारमण जी की खातेदारी मे दर्ज है एवं मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा उसकी खातेदारी की भूमि पर पुजारी को अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अप्रार्थीगण के कब्जे मे मंदिर की भूमि होने के कारण, उनके द्वारा भूमि पर बाउन्ड्रीवाल कराये जाने की स्वीकारोक्ति के कारण अप्रार्थीगण की ओर मूर्ति मंदिर की भूमि को खुर्द बुर्द किये जाने की पूर्ण आशंका है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए वादग्रस्त भूमि को रिसीवरी मे लिया जाकर इस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त किया जाना हम उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवर स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि खसरा 263 रकबा 91 एयर ग्राम सलारपुर के साढे बासठ एयर रकबे पर (जिसे रिसीवरी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे लाल रंग से ए.बी.सी.डी. से दर्शाया हुआ है) तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी उपरोक्त वर्णित भूमि को कब्जे राज मे लेकर भूमि की काश्त की व्यवस्था करावे तथा इसका नियमानुसार हिसाब रखे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 17-2-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:10 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)